(d) what steps Government propose to take to curb the unlawful activities of FEDAI ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) is an organisation of all authorised dealers in foreign exchange (including public sector banks), which is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956. One of the major objects of the Association is to regulate foreign exchange dealings by framing rules from time to time, with the prior approval of the R.B.I., for the conduct of foreign exchange business. The members are required to abide by the Constitution of the Association, all decisions of the General Body and/or the Managing Committee of the Association and all rules framed for the conduct of foreign exchange business.

(b) Shri V. Anantkrishnan is presently the Chief Executive of FEDAI appointed by the Managing Committee of FEDAI in terms of rules and regulation of FEDAI. His term has been extended for a period of three years from 1st March, 1988 by the Managing Committee *vide* their Resolution dated 9th February, 1988. The Affairs of the Association is managed by a Managing Committee consisting of member banks (Authorised Dealers) under Section 8 of the Constitution of FEDAI.

(c) and (d) Reserve Bank of India has reported that it is not aware of FEDAI encouraging any foreign exchange stock broker firms to adopt restrictive practices in respect of employees working with them wishing to change jobs.

विस्थापित व्यक्तियों को सेलम इस्पात संयंत्र में नौकरी दिया जाना

3421. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा परन्तु अब तक केवल 300 लोगों को ही नौकरी दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो शेष विस्थापित परिवारों के सदस्यों को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा । तथापि, कुल लगभग 1114 गैर-कार्यपालक कर्मचारियों में से 199 कर्मचारी विस्थापित परिवारों के हैं ।

सेलम इस्पात कारखाना छोटा है, इसलिए इसमें रोजगार के अवसर सीमित हैं और ये धीमी गति से होते हैं ।

विस्थापित परिवारों को रोजगार देने की विषय को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष जन-शक्ति के सृजन से बचने के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए ।

बोकारो इस्पात संयंत्र से रोपवे का अंतरित किया जाना

3422. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सस्ती दरों पर वाशरी तक कोयला पहुंचाने के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र से दुग्गा कोल वाशरी तक एक रोपवे 10 वर्ष पहले बनाया गया था परन्तु भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, श्री रामाकृष्णन ने अपने चहेते ठेकेदारों को परिवहन का काम प्रदान करने के उद्देश्य से रोपवे को बंद कर देने का आदेश दे दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने यह आदेश भी दिया कि रोपवे को बोकारो से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए;